

71
10

विलोपित



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
निगरानी - 5751/2018/उमरिया/प्र.अ.

प्रकरण क्रमांक: 12018- निगरानी
1- उष्ठा देवी पत्नी राजमान मिश्रा,
2- नीरज | पुत्रगण राजमान मिश्रा
3- पंकज |
निवासीगण खुटार (मानपुर) तैहसील-मानपुर,
जिला उमरिया (मध्यप्रदेश)।

श्रीमान के कार्यालय
दिनांक 11-9-18
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
दिनांक 1-10-18
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

-----प्रार्थीगण

बिराध्व

मध्यप्रदेश शासन कलेक्टर महोदय उमरिया

--- प्रतिपार्थी

7916192

मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, 1954 की धारा 2 के अधीन प्राप्त
अधीचाण शक्तियों का प्रयोग हेतु सहपठित धारा 40 मध्यप्रदेश मू-
राजस्व संहिता के अधीन प्रार्थनापत्र बिराध्व वादेश अपर कमिश्नर महोदय
शहडोल सांग दिनांक 13-12-17 । प्रोक० 104/188-18 निगरानी ।

श्रीमान जी,
44/01/08
11/9/18

- श्रीमान जी,
प्रार्थनापत्र निम्न बाधारी पर प्रस्तुत है :-
- 1- यह कि, अपर बायुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय की वाशारे कानूनन सही नहीं है ।
 - 2- यह कि, अपर बायुक्त महोदय एवं कलेक्टर ने प्रकरण के स्वल्प एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।
 - 3- यह कि, एक लम्बे समय के पश्चात् कलेक्टर महोदय वदारा प्रकरण स्वमेव निगरानीमें लेकर प्रारम्भिक न्यायालय के वादेश को निरस्त किये जाने में मूक की है । इस सम्बन्ध में बरिष्ठ न्यायालयों के अभिनिर्धारणों में पर भी समुचित विचार नहीं विधा गया है ।

2- यह कि, विवादित मामि पर पार्थी का दिनांक 2-10-18 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5751/2018/उमरिया/भू.रा.

ऊषादेवी विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक को ग्राह्यता पर सुना गया।</p> <p>2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक अभिभाषक के द्वारा ग्राम खुटार स्थित आराजी खसरा क्रमांक 162/1 भूमि का भूमिस्वामी उन्हें दखल रहित भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किया जाना विशेष अधिनियम 1984 के अंतर्गत नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा भूमिस्वामी घोषित किया गया ।</p> <p>3. कलेक्टर उमरिया द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस देते हुए एवं सुनवाई पश्चात नायब तहसीलदार का आदेश विधि विरुद्ध पाते हुए प्रश्नाधीन भूमि को म.प्र. शासन दर्ज करने का आदेश दिनांक 11-04-2011 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-10-2017 के द्वारा कलेक्टर उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-04-2011 को यथावत रखते हुए आवेदक का निगरानी आवेदन निरस्त किया गया ।</p>	

23.X.18

5. दखल रहित भूमि का भूमिस्वामी का अधिकार प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध 1984 के अंतर्गत भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक है कि आवेदक का दिनांक 02-10-1984 के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना चाहिए एवं आवेदक उसी ग्राम का निवासी होते हुए कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता हो। अपर आयुक्त के विषयांकित आदेश दिनांक 23-10-2017 से स्पष्ट है कि कलेक्टर के द्वारा आवेदक को कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई करने के पश्चात ही प्रश्नाधीन आराजी को म.प्र.शासन दर्ज करने का आदेश दिया गया था एवं आवेदक का शासकीय अभिलेखों में कब्जा मात्र 2 वर्ष (1993-94, 1994-95) में दर्ज था। अर्थात् 02-10-1984 की स्थिति में अभिलेखों में आवेदक का कब्जा अंकित नहीं था। प्रस्तुत निगरानी आवेदन में आवेदक के द्वारा मेरे समक्ष ऐसा कोई शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह विधित हो कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 02-10-1984 की स्थिति में कब्जा रखता था। कलेक्टर उमरिया ने प्रश्नाधीन भूमि को जंगल मद की भूमि पाया है। आवेदक के पात्र न होने की स्थिति में ही प्रश्नाधीन भूमि को म.प्र.शासन दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

6. अतः उपरोक्त के अनुक्रम में एवं दिनांक 02-10-1984 को भूमि का कब्जा प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन अग्रह्य किया जाता है।

hws
(आर.के. जैन) 23.X.18

सदस्य